

10.11.2017

आवेदक राकेश पाण्डे उर्फ बुददु द्वारा श्री यजवेन्द्र श्रीवास्तव उपस्थित।

राज्य द्वारा श्री बी.एस. बघेल अतिरिक्त अपर लोक अभियोजक उपस्थित।

थाना मालनपुर के अपराध क्रमांक [119/17](#) अंतर्गत धारा 420 भादसं की कैफियत एवं केस डायरी प्राप्त।

आवेदक राकेश पाण्डे के आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंप्रसं के साथ राकेश पाण्डे के पिता श्री शैलेश पाण्डे के द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

आवेदन एवं शपथपत्र में यह बताया गया है कि यह आवेदक राकेश पाण्डे का प्रथम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 439 दंप्रस. का है। प्रकरण में अन्य कोई आवेदक इस न्यायालय, समक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष न तो प्रस्तुत किया है, न निरस्त हुआ है और न ही विचाराधीन है। ऐसा केश डायरी से भी स्पष्ट है।

आवेदक के जमानत आवेदन पर उभयपक्ष के तर्क सुने गये।

आवेदक की ओर से व्यक्त किया गया है कि उसने कोई अपराध नहीं किया है। उसे झूठा फसाया गया है। आवेदक चपरासी है और कार्यालय में काम करने के कारण उस पर झूठा आरोप लगा दिया है, वह साढ़े तीन माह से जेल में है। इसके अलावा उसके घर में कोई कमाने वाला व्यक्ति नहीं है। अपराध मृत्यु या अजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। उक्त आधार पर जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

राज्य की ओर से घोर विरोध किया गया है तथा जमानत आवेदक निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

उभयपक्ष को सुने जाने तथा प्रकरण का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि दिनांक 20.06.2017 एवं उसके पश्चात दिनांक 04.07.2017 को एवं 10.07.2017 को फरियादी चतुर सिंह को 187 रुपए प्रति पौधे के हिसाब से पौधा लगाये जाने के लिए प्रवंचित करते हुए फरियादी अभियुक्त राकेश पाण्डे एवं धनंजय के द्वारा क्रमशः 5 हजार रुपए का चैक एवं 313150 रुपए का चैक प्राप्त कर उसका भुगतान प्राप्त किया परंतु पौधे नहीं लगाये। इस प्रकार आवेदक राकेश पाण्डे के द्वारा सहअभियुक्त धनंजय के साथ मिलकर फरियादी चतुर सिंह के साथ छल किया गया।

यद्यपि आवेदक राकेश पाण्डे दिनांक 23.08.17 से लगभग ढाई माह से निरोध में है, परंतु छल की जाने वाली राशि लगभग 318150 रुपए हैं। अतः केश डायरी का अध्ययन करने से स्पष्ट है कि आवेदक के द्वारा धनंजय के साथ मिलकर अन्य लोगों के साथ भी छल किया गया है। जिसके संबंध में उसके विरुद्ध अन्य प्रकरण भी हैं। अतः मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, तथ्यों, अपराध में प्रकरण एवं उसके स्वरूप तथा आवेदक के विरुद्ध आक्षेपों के विरुद्ध आवेदक राकेश पाण्डे को इस न्यायालय द्वारा जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उसका जमानत आवेदन निरस्त किया गया।

आदेश की प्रति केस डायरी वापिस की जावे।

प्रकरण का नतीजा दर्ज कर अभिलेखागार में भेजा जावे।

अपर सत्र न्यायाधीश गोहद  
जिला भिण्ड म0प्र0

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)